न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 93/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/594)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. ममता रानी उर्फ निशा भठेजा पत्नी नितिन कुमार भठेजा जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 19 श्रीकरणपुर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 18.09.2023

उपस्थितः 1.श्री सुधीर कुमार शर्मा अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

दिनांक : 31.01.2024

---निर्णय---

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चक 10 एस, पटवार हल्का धनूर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 08/07, खाता संख्या 162/160 व खाता संख्या 17/16 में क्रम संख्या 6 पर वादिया का नाम संयुक्त खातेदारान के साथ दर्ज है। वादिया को उक्त भूमि जरिए विरासतन इंतकाल से प्राप्त हुई है। विरास्तन इंतकाल करते समय सहवन से वादिया का नाम ममता रानी उर्फ निशा भठेजा दर्ज ना करके अकेला ममता रानी दर्ज कर दिया गया। जिसके आधार पर ही वादगत भूमि में वादिया का नाम ममता रानी दर्ज हो गया। वादिया उक्त खातों में अपना नाम ममता रानी उर्फ निशा भठेजा अंकित करवाना चाहती है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार से कोई असुविधा न हो। वर्तमान में फसल बेचान, अनुदान/ऋण संबंधित आवेदन पत्र तथा जमाबंदी एवं गिरदावरी इत्यादि दस्तावेजात ऑनलाईन हो चुके है, जिनका दस्तावेजो के अनुरूप खातेदार का नाम मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण इत्यादि की स्वीकृति प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओ से वादिया को झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादिया माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रही है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 10 एस, पटवार हल्का धनूर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 08/07, खाता संख्या 162/160 व खाता संख्या 17/16 में क्रम संख्या 6 पर अंकित नाम ममता रानी पुत्री उषा रानी पुत्री चिमनलाल के स्थान पर ममता रानी उर्फ निशा भठेजा पुत्री उषा रानी पुत्री चिमनलाल नाम घोषित किया जाकर, उपरोक्तानुसार संशोधन करने हेतु डिक्री पारित की जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 5685 दिनांक 04.12.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 10 एस, पटवार हल्का धनूर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 08/07, खाता संख्या 162/160 व खाता संख्या 17/16 में ममता रानी पुत्री उषा रानी पुत्री चिमनलाल जाति अरोडा साकिन केसरीसिंहपुर के नाम भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि जरिये विरासतन इंतकाल संख्या 614 से प्राप्त हुई है। ममता रानी के विवाह उपरान्त नाम निशा भठेजा कर दिया गया है। पटवारी हलका द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि ममता रानी उर्फ

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निशा भठेजा का विवाह लगभग 25 वर्ष पूर्व श्रीकरणपुर में हुआ था तथा शादी उपरान्त नया नाम निशा भठेजा कर दिया गया है। ममता रानी व निशा भठेजा दोनों एक ही है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादिया, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादिया अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम चक 10 एस, पटवार हल्का धनूर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 08/07 की प्रति, राजस्व ग्राम चक 10 एस, पटवार हल्का धनूर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 162/160 की प्रति, राजस्व ग्राम चक 10 एस, पटवार हल्का धनूर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 17/16 की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, अध्यक्ष नगरपालिका केसरीसिंहपुर द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र की छायाप्रति, कक्षा 10 व 12 की अंकतालिका की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादिया के द्वारा राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 08/07, खाता संख्या 162/160 व खाता संख्या 17/16 में अंकित नाम ममता रानी के स्थान पर ममता रानी उर्फ निशा भठेजा दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादिया के मतदाता पहचान में नाम निशा पत्नी मोनू दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार पटवारी हलका द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि ममता रानी व निशा भठेजा दोनो एक ही है। अतः वाद पत्र वादिया रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादिया के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 08/07, खाता संख्या 162/160 व खाता संख्या 17/16 में क्रम संख्या 6 पर अंकित नाम ममतारानी के स्थान पर ममता रानी उर्फ निशा भठेजा दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

ममता रानी उर्फ निशा भठेजा बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर **93/2023**

निर्णय दिनांक :- 31.01.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादिया अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार शर्मा उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 08/07, खाता संख्या 162/160 व खाता संख्या 17/16 में क्रम संख्या 6 पर अंकित नाम ममतारानी के स्थान पर ममता रानी उर्फ निशा भठेजा दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आज दिनांक 31.01.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00
योग	04	00

मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प अरजी	00	-
मेहनताना वकील पर	00	
योग	00	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर
दिनांक: 31.01.2024

क्रमांक: रीडर/ 2024/ 12
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ★
सत्यमेव जयते